कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बारां

क्रमांक:– जिशिअ/प्राशि/बारां/2013-14/54 दिनांक:– 24/6/13

अध्यक्ष/प्रबंधक प्रबंध समिति,

ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, सीताबाड़ी रोड केलवाड़ा तह० शाहाबाद

विषय:–नियम 8–क के उप–नियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन दिनांक 4/3/2013 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, सीताबाड़ी रोड केलवाड़ा को 2013–14 से 2015–16 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा प्रथम से पांचवी तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

विद्यालय स्तर - प्राथमिक
माध्यम - अंग्रेजी

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय ,कक्षा–1 में या, यथास्थिति,पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र–संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:

   1. विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा
   2. कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा,
   3. किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
   4. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   5. 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये।
   6. अध्यापक,2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें।

      परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है। वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।
   7. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है, और
   8. अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगें।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगें। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है:–

निधालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र
कक्षा में कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष
लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर पीने के पानी की सुविधा
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
अवरोध मुक्त पहुँच
अध्यापन विज्ञाता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई और मान्यता-प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगें।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21), के राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समयें पवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं ।

12. विद्यालय किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टेड एकाउन्टेंट द्वार लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा। और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेंगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 54 24/6/13 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनकरण,यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा बारां

क्रमांकः– जिशिअ/प्राशि/बारां/2013–14/ 54
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

दिनांकः– 24/6/13

1. श्रीमान् निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा कोटा।
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मा0शि0 बारां।
4. ब्लॉक प्रारमिक शिक्षा अधिकारी प0स0......................।
5. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा बारां